RESEARCH REVIEW JOURNALS
Volume-04
Issue-03
March -2019

ISSN: 2455-3085 (Online)
RESEARCH REVIEW International Journal of Multidisciplinary
www.rrjournals.com [UGC Listed Journal]

भारत में बैंकिंग ऋण व्यवस्था

अजय कुमार

इतिहास विभाग, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा (बिहार)

बैंकों के विभिन्न कार्यों में ऋण देने का कार्य निश्चित ही सबसे महत्त्वपूर्ण है। इस कार्य को सम्पन्न करते हुए बैंक वाणिज्य और उद्योग को कार्यशील पूंजी प्रदान करते हैं। भारत में 14 बड़े बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद ही कृषि कार्यों के लिए बड़ी मात्रा में ऋण मिले हैं।

मार्च 2011 के अन्त में भारत के सभी अनुसूचित व्यापारिक बैंकों द्वारा दिए गए अग्रिम 42,98,704 करोड़ रूपये के थे। 14 बड़े बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद बैंक साख की मात्रा में तेज वृद्धि हुई है। जुलाई 1969 में कुल बैंक साख की राशि 3,396 करोड़ रूपये थी। 42 वर्षों तक साख की मात्रा में नियमित रूप से वृद्धि हुई है। इस अवधि में बैंक साख में अभूतपूर्व विस्तार के मुख्य कारण हैं : (i) मुद्रा की मात्रा में स्फीतिक विस्तार; और (ii) बड़े पेमाने पर जमाराशि संग्रहण। यह गौर करने वाली बात है कि हाल के वर्षों में साख का विस्तार उतनी तेजी के साथ नहीं हुआ है जितनी तेजी के साथ जमाराशियों में वृद्धि हुई है। यह इस बात से स्पष्ट है कि साख–जमाराशि अनुपात जो मार्च–अंत 1976 को 80.8 प्रतिशत था, मार्च–अंत 2011 को कम होकर 73.6 प्रतिशत रह गया। मार्च–अंत 2011 में साख–जमाराशि अनुपात 76.5 प्रतिशत था।

अब बैंक साख का फैलाव गुणात्मक दृष्टि से उससे भिन्न है जो आयोजन काल के शुरू के दिनों में था। 1951 में वाणिज्य और उद्योगों का कुल बैंक साख में भाग क्रमशः 36 और 34 प्रतिशत था। बैंकों की साख योजनाओं में कृषि का कोई स्थान नहीं था। आर्थिक आयोजन की प्रगति और औद्योगीकरण पर विशेष जोर के कारण बैंक साख के वितरण में परिवर्तन हो गया। मार्च 1968 में कुल बैंक साख में बड़े और मझोले आकार के उद्योगों का भाग 60.6 प्रतिशत था। इस समय तक बैंक साख में वाणिज्य का सपेक्षिक भाग काफी कम हो गया था। इस वर्ष बैंक साख में कृषि का भाग लेकर 2.2 प्रतिशत था। व्यापारिक बैंक इस समय तक कृषि कार्य के लिए ऋण देने के लिए तैयार नहीं थे। उनके इस रवैये के लिए एक हद तक अखिल भारतीया ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति की रिपोर्ट भी जिम्मेवार थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि ग्रामीण साख की एकीकृत योजना में व्यापारिक बैंकों को शामिल न करना ही उपयुक्त है।

बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद उनकी साख नीति में भारी परिवर्तन हुआ। नई नीति में प्राथमिकता क्षेत्रों को, जिनमें कृषि और लघु उद्योग भी हैं, ऋण देने पर विशेष जोर दिया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि अन्य क्षेत्रों का बैंक साख में भाग कम हो गया। 25 मार्च 2011 के दिन गैर–खाद्य सकल बैंक साख 36,67,354 करोड़ रूपए थी। इसमें प्राथमिकता क्षेत्रों का भाग 12,39,386 करोड़ रूपए (अर्थात 33.8 प्रतिशत) था।

बैंकों के राष्ट्रीयकरण से पहले तक बैंक साख का फायदा उठाने वाले मुख्य रूप से वे लोग थे जिनका बैंकों के प्रबन्ध पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियन्त्रण था। अतः कृषि, लघु उद्योगों और दूसरे प्राथमिकता क्षेत्रों को देश की अर्थव्यवस्था में उनके महत्त्व के बावजूद आवश्यक मात्रा में बैंक साख नहीं मिल पाती थी। 1965 में पहली बार इस बात की कोशिश की गई कि व्यापारिक बैंकों की साख नीति आयोजन नीतियों के अनुसार हो। इस बात को ध्यान में रखकर नवम्बर, 1965 में साख अधिकृतिकरण योजना लागू की गई जिसके अन्तर्गत व्यापारिक बैंकों के लिए यह आवश्यक कर दिया गया कि यदि वे किसी एक पार्टी को बड़ी मात्रा में ऋण देना चाहें तो इसके लिए रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति प्राप्त करें। इसके बाद बैकों पर सामाजिक नियन्त्रण की योजना लागू की गई जिसके अन्तर्गत बैंकों के लिए यह आवश्यक कर दिया गया कि वे प्राथमिकता क्षेत्रों को ज्यादा ऋण दें। फरवरी 1968 में राष्ट्रीय साख परिषद का गठन किया गया जिसका एक महत्त्वपूर्ण काम राष्ट्रीय स्तर पर बैंक साख सम्बन्धी प्राथमिकताएं तय करना था। लेकिन ये उपाय अपर्याप्त सिद्ध हुए, और इसलिए अन्ततः सरकार ने 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीकरण कर दिया। प्राथमिकता क्षेत्रों के छोटे ऋण चाहने वालों को ज्यादा बैंक साख की व्यवस्था करना, दररअसल बैंक राष्ट्रीयकरण का एक मुख्य उद्देश्य था। अतः इसी श्रेणी के लोगों को मिलने वाली साख की मात्रा के आधार पर यह जांचा जा सकता है कि बैंक राष्ट्रीकरण कहां तक सफल हुआ है।

राष्ट्रीयकरण से पहले बागान को छोड़कर कृषि को ज्यादा बैंक साख प्राप्त नहीं हुई थी। जून 1969 के अन्त में कृषि कार्य के लिए ऋणों की बकाया राशि 162 करोड़ रूपये थी। तब से कृषि कार्य के लिए सीधे ऋणों की राशि में कितनी ज्यादा वृद्धि हुई है यह इससे स्पष्ट हैं कि 25 मार्च, 2011 को इन ऋणों की बकाया राशि 4,60,333 करोड़ रूपये थी जो कुल गैर–खाद्य बैंकि साख का 12.5 प्रतिशत था। कृषि के लिए ऋण पाने वालों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। बैंकों

RRIJM 2015, All Rights Reserved

द्वारा कृषि के लिए अप्रत्यक्ष वित्तीय सहायता की राशि में काफी वृद्धि हुई है। इस देश में रोजगार की दृष्टि से लघु उद्योगों का महत्त्व काफी है। लेकिन इन उद्योगों का अस्तित्व और विकास दोनों ही इस बात पर बहुत कुछ निर्भर करता है कि इन्हें संगठित बैंक क्षेत्र से कितनी वित्तीय सहायता प्राप्त होती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र को निरन्तर बढ़ती हुई मात्रा में बैंक साख की व्यवस्था की जा रही है। 25 मार्च, 2011 के दिन इस क्षेत्र को दिए गए ऋणों की बकाया राशि 4,54,995 करोड़ रूपये थी। प्राथमिकता क्षेत्र के बाकी हिस्सों (सड़क और जल परिवहन प्रचालक, खुदरा व्यापारी, व्यवसायी और स्वरोजगार में लगे हुए लोग, इत्यादि) को भी राष्ट्रीयकरण के बाद बैंकों की साख नीति में होने वाले परिवर्तनों को फायदा हुआ है। 25 मार्च, 2011 के दिन इन सभी वर्गों के लोगों को दिए गए ऋणों की बकाया राशि 3,24,058 करोड़ रूपये थी जबकि 30 जून, 1969 को यह राशि केवल 23 करोड़ रूपये थी। निर्देशित साख प्रणाली को और व्यापक व प्रभावी बनाने के लिए 30 अप्रैल, 2007 को नए दिशा–निर्देश जारी किए गए। इनके तहत अब प्राथमिकता क्षेत्र का विस्तार किया गया है। अब प्राथमिकता क्षेत्र में निम्नलिखित शामिल हैं : (i) कृषि (प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष वित्त), (ii) लघु उद्यम (प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष वित्त), (iii) खुदरा व्यापार (iv) माइक्रो साख, (v) शिक्षा के लिए ऋण, तथा (vi) आवास ऋण।

संदर्भ ग्रंथ सूची :

1. D.N. Ghosh, Banking Policy of India (Bombay, 1979), p. 227.
2. Reserve Bank of India, Report on Currency and Finance 2006-08 (Mumbai, 2008), Vol. I, Table 4.4, p. 148.
3. Government of India, Economic Survey, 2011-12 (Delhi, 2012), Table 5.3, p. 107.
4. Government of India, Economic Survey, 2007-08 (Delhi, 2008), p. 86.
5. Reserve Bank of India, Report of the Committee to Review the Working of the Monetarty System (Bombay, 1985), p. 175.
6. Reserve Bank of India, Report on Trend and Progress of Banking in India, 2010-11 (Mumbai, 2011), Table IV. 5, p. 76.

RRIJM 2015, All Rights Reserved